UPUN010043662026

न्यायालय **Addl. District Judge Court No. 1, Unnao**

पीठासीन अधिकारी– (Kavita Mishra), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06229**

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1852/2026</u>

1. शिवा गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता
   निवासी 1/327 ऋषी नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट
   जनपद उन्नाव।.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–659/2025
धारा–61(2),318(4) बी.एन.एस.
थाना गंगाघाट जिला उन्नाव।

<u>दिनांक0 :–07.08.2026</u>

यह **प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** आवेदक/अभियुक्त **शिवा गुप्ता** की ओर से मु0अ0सं0–659/2025 धारा–61(2),318(4) बी.एन.एस. थाना गंगाघाट जिला उन्नाव मे प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय मे न तो दिया गया है न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2025 को वादी मुकदमा से अभियुक्त ने कहा कि तु पैसे लगाओं वह उसे सेकेण्ड हैण्ड चार पहिया गाड़ी खरीदवा कर किसी कम्पनी मे लगवा देगा जिससे उसे प्रतिमाह 50–60 हजार रूपये की आये होने लगेगी उसके द्वारा कहा गया कि वह अपने मित्र शिवा गुप्ता जो वर्तमान मे पारा चौकी लखनऊ मे रहता है,के साथ रहकर कार्य करता है वह लोग पहले 20 हजार रूपये कम्पनी मे किराये पर गाड़ी लगवाने के लिये टोकन मनी लेगे। अभियुक्त प्रिसू सैनी से बात की तो एक आई–20 कार तीन लाख बीस हजार रूपये मे सौदा तय हुआ। वादी के पास पैसा नही था उसने अपने मित्र अशोक सविता से शिवा के कहने पर एक लाख रूपये आर.टी.जी.एस शिवा के

खाते मे डलवा दिया शेष बचे 220000/रूपये मे से 15,000/– रूपये प्रतिमाह की किश्ते तय करदी तथा उक्त गाड़ी दे दी। दिनांक 27.06.2025 तक गाड़ी हस्तांतरित नही हुई तो वादी ने प्रिसू सैनी से बात की तो वह शाम को उक्त शिवा गुपत के साथ एक प्रोस कार से मिले और कहा कि यह कार तुम रख लो मै कार आई 20 ले जा रहा हूँ जल्द ही ट्रांसफर कराकर दे दूँगा इस प्रकार शिवा गुप्ता व प्रिशू सैनी द्वारा मिलकर वादी व उसके रिश्तेदारों व मित्रों को विश्वास मे लेकर धोखेबाजी करते हुए अपराधिक षड़यंत्र के तहत वादी के रूपये गबन किया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आधार जमानत मे कथन किया गया कि प्रार्थी बेगुनाह है उसे रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी एम.आर के तौर पर 2024 से लखनऊ मे कार्य करता थाऔर रमेश सिंह चौहार टूर एण्ड ट्रेवेल्स से एक कार किराये पर 25,000/–रूपये प्रति माह के सिलसिलें मे ले रखी थी जिसका किराया कम्पनी देती थी। प्रार्थी की मुलाकात वही पर प्रसून सैनी सेहुयी जो अन्य कम्पनी मे एम.आर के तौर पर कार्य कर रहा था। प्रार्थी ने प्रसून सैनी ने एक गाड़ी किराये पर दिलाने की बात कही जिस पर प्रार्थी रमेश सिंह से बात कर उसे गाड़ी दिला दी जिसका एग्रीमेन्ट भी बना था। प्रार्थी के गाड़ी दिलाने पर प्रसून सैनी अपना काम करने लगा कुछ दिन बाद प्रार्थी की बात होने पर पता चला कि शुक्लागंज मे काम कर रहा है। दोबारा प्रसून सैनी अपने मौसेरी भाई प्रिसू सैनी को लेकर प्रार्थी के पास पहुँचे और कहा ये भी मेरे साथ काम करता है इसे भी गाड़ी किराये पर दिला दो। प्रार्थी ने रमेश सिंह चौहान से बात कर गाड़ी दिला दी जिसका एग्रीमेन्ट भी बना। उक्त दोनों भाई शुक्लागंज मे बराबर कार्य करने की बात कहते जब भी उक्त लोग लखनऊ से गाडी लाकर शुक्लागंज खिची गाड़ी बताकर वहां लोगों को बेवकूफ बनाकर औन पौने दामों पर गाड़ी बेचने का काम करने लगे जिन लोगों को गाड़ी इन दोनों भाईयों ने बेची थी कुछ दिन बाद शक होने पर उनके साथ ठगी होने का एहसास हुआ तब कार्यवाही हुयी। प्रार्थी को इस घटनाक्रम की कोई जानकारी नही थी न ही प्रार्थी किसी भी विक्रेता के सम्पर्क मे आया जिसकी पुष्टि वादी के सी.डी.आर से हो सकती है। प्रार्थी के पास एक रिकार्डिग भी है जिसमें किसी भी ग्राहक से गाड़ी बेचने की पूरी स्पष्ट रूप से बात कर रहा है जिसकी बातचीत पेनड्राइव संलग्न है।एग्रीमेन्ट की कापी भी प्रार्थी के मोबाइल मे थी किन्तु अ. सं–484/2025 थाना गंगाघाट ज़िला उन्नाव के मुकदमें मे गिरफ्तारी के समय ले लिया गया और बाद मे प्रार्थी को जब मोबाइल मिला तो उसको फार्मेट कर दिया गया था और उसमें कुछ नही शेष था। पुलिस को सभी गाड़ियां प्रसून सैनी के

माध्यम से जहां भी इन्होने बेचा था वहां से बरामद कर ली गयी है। घटना मे प्रार्थी का कोई लेना देना नही है और वह अभी 23 वर्ष का है जो कि बी.फार्मा का छात्र है। वह जमानत की शर्तो का उल्लंघन नही करेगा।: अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि संबंधित मामलें मे प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई है प्रार्थी एम. आर के तौर पर 2024 से लखनऊ मे कार्य कर रहा है तथा वर्तमान समय मे वह बी.फार्मा का छात्र है उसके द्वारा कोई भी षडयंत्र करके किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया गया है।

संबंधित मामलें मे वादी मुकदमा सचिनसविता के द्वारा विवेचक को दिये गये बयान मे कथन किया है कि मेरी प्रिशू सैनी उर्फ निखिल सैनी उर्फ निक्की से मित्रवत सम्बन्ध है। दिनांक 6.5.2025 को कहा कि मै चाहता हूँ कि तुम पैसे लगाओं मै तुम्हे सेकेण्ड हैड चार पहिया गाड़ी खरीदवा कर किसी कम्पनी मे लगवा दे जिससे तुम्हे प्रतिमाह 50 से 60 हजार रूपये की आय होने लगेगी उसने बताया कि वह अपने मित्र शिवा गुप्ता के साथ मिलकर कार्य कर रहे है हम लोग पहले बीस हजार रूपये कम्पनी मे किराये पर गाड़ी लगवाने के लिये टोकन मनी लेते है मैने प्रिशू सैनी की बात मे आकर एक कार आई 20 जिसका नम्बर–यू.पी. 32–एन.एफ–5097 की बाबत की तथा 3,20,000/रूपये मे सौदा हुआ तथा शिवा के खाते मे एक लाख रूपये डलवा दिया किन्तु उक्त वाहन को हस्तांतरित नही करवाया गया। अभियुक्त प्रिन्शू सैनी उर्फ निखिल सैनी के द्वारा उक्त अपराध को कारित किया गया है तथा लगभग 13,40,000/–रूपये हड़प कर लिया गया है।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अग्रिम जमानत के प्रकरण में आवेदक को अपनी गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आंशका होनी चाहिए जिससे बचने के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई युक्तियुक्त आंशका आवेदक/अभियुक्त को नही है एवं मामले से सम्बन्धित कई तथ्यों का अन्वेषण प्रचलित है।

अतः प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त न करते हुए अपराध की प्रकृति तथा मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शिवा गुप्ता** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1852/2026, मु0अ0सं0–659/2025 धारा–61(2), 318(4) बी.एन.एस. थाना गंगाघाट जिला उन्नाव खारिज** किया जाता है।

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1,
उन्नाव।

दिनांक–07.08.2026